

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town  
Hall, Collectorate Road,  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309  
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2024

Date : 31.01.2024

प्रति,

KU. PREETIKA XALXO, ADV.  
S/O/D/O/W/O SHRI SANTOSH XALXO  
HOLY CROSS PATPARIYA, AMBIKAPUR SURGUJA (C.G.)

(वृत्तिक स्थल - अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.01.2024 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./202/2024/ADV. नामांकन दिनांक 30.01.2024 है।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित हैं तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,  
Bar Council of India,  
21, Rouse Avenue,  
Institutional Area  
New Delhi+  
Telephone No.011-492250000, 32402082,  
Telefax : 011-41036283  
Email :- Info@barcouncilofindia. Org  
Website: www.barcouncilofindia.org



भारतीय  
अमित कुमार वर्मा  
सचिव  
छ.ग.रा.वि. परिषद



कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा  
सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़  
(दूरभाष क्रमांक 0774.230230 ई-मेल—ed.jd.surguja@gmail.com)

आदेश

अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023

क्र./स्था.2/सी.भ.2023/शिक्षक/2023 13497/18323 छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04-05-2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04-05-2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02-07-2023 की वरीयता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/शि/सी.भ./2023/313 नवा रायपुर दिनांक 21.08.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 24.08.2023 से 29.08.2023 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (35400 - 112400) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. (5) में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है : -

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11103447	RAGHUNATH . C/O DHANESHWAR	ST	House No : 300, 343, RAMANUJGANJ / MITGAI, , 497220, District: Balrampur Chhattisgarh, Sarguja, , Balrampur, Chhattisgarh,	M.S.MAGARHARA Balrampur BALRAMPUR	ST OPEN

(संजय कुमार गुप्ता)

संयुक्त संचालक

शिक्षा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़

**उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-**

1. चयनित शिक्षक 20 सितम्बर 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
2. चयनित शिक्षक संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा –  
प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत  
द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत  
तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत  
परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
4. नवनियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त, सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
7. चयनित शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
9. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
10. पदांकित शाला तथा विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।



12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
13. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत "अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र/कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेंगे।"
14. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यक्षीन होगी।

**संयुक्त संचालक**  
**शिक्षा सरगुजा संभाग**  
**अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़**

क्र./स्था.2/सी.भ. 2023/शिक्षक/2023/13498

अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023

प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3/ सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4/ संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
- 5/ आयुक्त, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
- 6/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
- 7/ कलेक्टर, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।
- 8/ संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर, सरगुजा को सूचनार्थ।
- 09/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10/ समस्त जिला प्राचार्य, डाईट, सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11/ समस्त कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 12/ सर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो।
- 13/ सर्व संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 14/ संबंधित श्री/सुश्री RAGHUNATH ., C/O DHANESHWAR, House No : 300, 343, RAMANUJGANJ / MITGAI, , 497220, District: Balrampur Chhattisgarh, Sarguja, , , Balrampur, Chhattisgarh, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 15/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

**संयुक्त संचालक**  
**शिक्षा सरगुजा संभाग**  
**अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़**




कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

//आदेश//

क./ 10167 /स्था.-प्रा.शा./सी.भ./सहा.शि./2023 अम्बिकापुर, दिनांक-29/09/2023  
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा  
रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार अटल नगर नवा रायपुर दिनांक  
04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.  
02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन  
जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक  
02.07.2023 की वरीयता के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज  
सत्यापन दिनांक 26.09.2023 से दिनांक 28.09.2023 तक किया है। सत्यापन उपरांत सहायक  
शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी  
आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर, सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 के  
पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः  
ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम
1	2	3	4	5
11033287	RAHUL GUPTA C/O RAM KUMAR GUPTA	OBC	House No : 142, MAIN ROAD GUTURMA, GUTURMA, , 497114, District: Sarguja Chhattisgarh, , , Sarguja,	P.S. SHIVNATHPUR Sitapur SURGUJA


  
जिला शिक्षा अधिकारी  
अम्बिकापुर, सरगुजा

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1- चयनित सहायक शिक्षक 10 अक्टूबर, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- 2- चयनित सहायक शिक्षक संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- 3- नवनियुक्त सहायक शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 4- यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
- 5- चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- 6- चयनित सहायक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
- 7- उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
- 8- प्रमाणित किया जाता है कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
- 9- पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- 10- संबंधित सहायक शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- 11- नियुक्त सहायक शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

81


- (3)
- (12) उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 5788/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक डी.वाय. 35325/2023 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यक्षीन होगी।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
अम्बिकापुर, सरगुजा

पृ.क./ 10168 /स्था.-प्रा.शा./सी.भ./सहा.शि./2023 अम्बिकापुर, दिनांक 29/09/2023

प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4/ संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5/ संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6/ कलेक्टर सरगुजा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 7/ संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8/ कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 9/ उप कोषालय अधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ।
- 10/ समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी.....जिला-सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित सहायक शिक्षक को विलम्ब न हो।
- 11/ सर्व संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 12/ संबंधित श्री/सुश्री/श्रीमती ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 13/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
अम्बिकापुर, सरगुजा



## लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771.2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771.2445215, ई-मेल—cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/सी.भ./व्याख्याता/भौतिक/2023/389

नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार (पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2023 के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन किया है। सत्यापन उपरांत व्याख्याता **विषय-भौतिक** के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, व्याख्याता **राजपत्रित द्वितीय श्रेणी सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 09 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-**

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11013336	RAJ KISHOR BHAGAT C/O RUP DEVRAM BHAGAT	ST	WARD NO. 09, BHAGATPARA, WARD NO. 09, BHAGATPARA, VILL. NILKANTHPUR PO. KATIMA TH+THANA- KUSMI, , Balrampur, Chhattisgarh, 497224	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BASANTPUR Wadrafanagar BALRAMPUR	ST

10.08.23  
संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

1. चयनित व्याख्याता 31 अगस्त, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।





# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज, मुख्या-रामानुजगंज (छ.ग.)

Email-id rmsa.ramanujganj@gmail.com

—:आदेश:—

रामानुजगंज, दिनांक 29/09/2023

क्रमांक/स्था0-02/स.शिक्षक नियुक्ति/ 5094 /2023-24 :: छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन दिनांक 08.09.2023 से दिनांक 13.09.2023 तक किया है। सत्यापन उपरांत सहायक शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर, सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.-5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	नियुक्ति का संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11013146	RAJAT EKKA C/O NIRMAL EKKA	ST	House No : , , AMBIKAPUR , , 497001, District: Sarguja Chhattisgarh	P.S.B. SHANKARGARH, Shankargarh Distt.- BALRAMPUR	T Cadre

जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज,  
छत्तीसगढ़

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- चयनित सहायक शिक्षक 04 अक्टूबर, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- चयनित सहायक शिक्षक संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- नवनियुक्त सहायक शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के कम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।

क्रमशः 02 पर .....

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town

Hall, Collectorate Road,

Bilaspur (C.G.) 495 001

Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises

Bilaspur (C.G.) 495 001

Phone: 07752-241309

Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023/2<sup>nd</sup> Copy

Date : 15.09.2023

प्रति,

KU. RAJRANI, ADV

S/O/D/O/W/O SHRI BHOLA RAM,

VILL. - JARGIM, POST - MANOHARPUR, TEHSIL + THANA - SHANKARGARH,

DISTT. BALRAMPUR (C.G.)

(वृत्तिक स्थल - अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 24.05.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./780/2023/ADV. नामांकन दिनांक 24.05.2023 हैं।


चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,  
Bar Council of India,  
21, Rouse Avenue,  
Institutional Area  
New Delhi+  
Telephone No.011-492250000, 32402082,  
Telefax : 011-41036283  
Email :- Info@barcouncilofindia. Org  
Website: www.barcouncilofindia.org



भवदीय  
अमित कुमार वर्मा  
सचिव  
छ.ग.रा.वि. परिषद

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town  
Hall, Collectorate Road,  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309  
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023/

Date : 18.07.2023

प्रति,

SHRI SAIF ERAQUI, ADV.  
S/O/D/O/W/O SHRI NAJMUDDIN ERAQUI  
HOSPITAL COLONY, MASJID PARA, THANA + TAHSIL - SITAPUR,  
DIST. SURGUJA (C.G.)

(वृत्तिक स्थल - अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.07.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./868/2023/ADV. नामांकन दिनांक 17.07.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,  
Bar Council of India,  
21, Rouse Avenue,  
Institutional Area  
New Delhi+  
Telephone No.011-492250000, 32402082,  
Telefax : 011-41036283  
Email :- Info@barcouncilofindia. Org  
Website: www.barcouncilofindia.org



भवनीय  
अमित कुमार वर्मा  
सचिव  
छ.ग.रा.वि. परिषद

"अखिल भारतीय बार परीक्षा" से संबंधित बार कौंसिल आफ इण्डिया के नियमों के संबंध में  
आवश्यक विवरण  
भारतीय विधिज्ञ परिषद  
नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2010  
अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम -2010

भारतीय विधिज्ञ परिषद ने 30 अप्रैल 2010 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया :-

संकल्प संख्या :73/2010

संकल्प किया जाता है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद, उसके ऐसी शर्तें अभिकथित करने की शक्ति व्यक्त होने के कारण, जिनके अधीन अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन विधि व्यवसाय करने का अधिकार होगा, अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करेगी, जिसमें उत्तीर्ण होने पर अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र करने का हकदार होगा जिससे यह अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधिनियम विधि व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात होगा/होगी। उक्त भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए विधि शिक्षा निदेशालय द्वारा विरचित नियमों का अनुमोदन करती है।

उपर्युक्त संकल्प को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 (1) (एएच) के अधीन विधि व्यवसाय करने की शर्तें :- भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम के अध्याय - 3 भाग-4 में निम्नलिखित नियम बनाती है और उन्हें नियम 9 से 11 तक के रूप में अंतः स्थापित करती है।

9. अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा -24 के अधीन नामांकित कोई अधिवक्ता विधि व्यवसाय करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा संचालित अखिल भारतीय बार परीक्षा 2009-2010 और आगामी वर्षों में आगे स्नातक बनने वाले और अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा - 24 के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने वाले सभी विधि विद्यार्थियों के लिए आज्ञापन है।

अखिल भारतीय बार परीक्षा :-

10. (i) अखिल भारतीय बार परीक्षा भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा आयोजित की जायेगी।  
(ग) बार परीक्षा प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे मास और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जायेगी जो भारतीय विधिज्ञ परिषद समय - समय पर अवधारित करे।  
(ख) बार परीक्षा ऐसे मूल और प्रक्रियागत विधि क्षेत्रों में अधिवक्ताओं की परीक्षा लेगी जैसा भारतीय विधिज्ञ परिषद समय-समय पर अवधारित करे।  
(ग) ऐसे मूल/प्रक्रियागत विधि क्षेत्रों (विषयों) और पाठ्यक्रम का भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा प्रकाशन परीक्षा के नियम तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व किया जायेगा।  
(घ) बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित अंकों का प्रतिशत भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अवधारित किया जाएगा।  
(ङ) असफल अधिवक्ता बार परीक्षा में पुनः बैठ सकेगा उसके लिए बैठने की सीमा नहीं होगी।  
(च) भारतीय विधिज्ञ परिषद, विशेषज्ञों की एक समिति की मार्फत, पाठ्यक्रम, सिफारिश किये गये पाठन, परीक्षा पत्र निर्धारकों, माडरेटरों, मूल्यांककों की नियुक्ति, माडल उत्तरों परीक्षा भवन संबंधी नियमों और अन्य संबंधित विषयों का अवधारण करेगी।  
(छ) भारतीय विधिज्ञ परिषद के लिए रीति और आवेदन पत्र का पत्र की अवधारण करेगी।  
(ज) बार परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर, अधिवक्ता विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र पाने का हकदार होगा।

विधि व्यवसाय के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन -

11. (1) विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा परिणामों की घोषणा होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सफल अधिवक्ता के पते पर जारी किया जायेगा।  
12. विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष के हस्ताक्षराधीन भारतीय विधि परिषद द्वारा जारी किया जायेगा।

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town

Hall, Collectorate Road,

Bilaspur (C.G.) 495 001

Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises

Bilaspur (C.G.) 495 001

Phone: 07752-241309

Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2024

Date : 31.01.2024

प्रति,

KU. SATYAPANA CHATURVEDI, ADV.

S/O/D/O/W/O SHRI GANGA PRASAD CHATURVEDI

RICE MILL ROAD, AMBIKAPUR, DESHI ISPYSHI RESTORENT, AMBIKAPUR (C.G.)

महोदय/महोदया,

(वृत्तिक स्थल - अंबिकापुर)

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.01.2024 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./222/2024/ADV. नामांकन दिनांक 30.01.2024 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैठें अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,  
Bar Council of India,  
21, Rouse Avenue,  
Institutional Area  
New Delhi+  
Telephone No.011-492250000, 32402082,  
Telefax : 011-41036283  
Email :- Info@ barcouncilofindia. Org  
Website: www.barcouncilofindia.org



भुवदीय

अमित कुमार वर्मा  
सचिव  
छ.ग.रा.वि. परिषद

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town  
Hall, Collectorate Road,  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309  
Fax: 07752-241309

Ref. No. SBC/CG/Enroll/Committ./2023/

Date : 09.10.2023

प्रति,

KU. SAVITA, ADV.  
S/O D/O W/O SHRI MOTILAL  
VILLAGE BANSIPUR JUNAFARA POST JARHI  
DISTT. SURAJPUR (C.G.)

(युक्तिक स्थल - अदिकापुर)

महोदय/ महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 09.10.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है. एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ इंडिया की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोजेक्शनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./1819/2023/ADV. नामांकन दिनांक 09.10.2023 है।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।


बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के सबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दस्तावेज क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है. इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :-


The Secretary,  
Bar Council of India,  
21, Rouse Avenue,  
Institutional Area  
New Delhi-  
Telephone No.011-492250000, 32402082,  
Telefax : 011-41036283  
Email :- Info@barcouncilofindia.org  
Website: www.barcouncilofindia.org



  
अमित कुमार वर्मा  
सचिव  
छ.ग.रा.वि. परिषद

No. H/.....4982

# BIHAR STATE BAR COUNCIL, PATNA



ADVOCATES ARE PILLARS OF JUSTICE



Certificate of Admission as an Advocate, under the Advocates Act, 1961

Roll No. ....BR/123..... of 2024.....

This is to certify that...Shekhar Jyoti.....  
Son / Daughter / Wife of Sri Digvijaya Narayan Sharma.....

.....  
has this day been admitted as an advocate on the Roll of the Bihar State Bar Council.

Dated this.....05<sup>th</sup>.....of.....Feb.....Two Thousand Twenty Four

Patna

The.....05.02.24.....

R. D. Verma  
Secretary

D. Sharma  
Chairman

"Kindly see the notes on the back of this Certificate"

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town

Hall, Collectorate Road,

Bilaspur (C.G.) 495 001

Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises

Bilaspur (C.G.) 495 001

Phone: 07752-241309

Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

Date : 01.11.2023

प्रति,

KU. SHWETA PANDEY, ADV.

S/O/D/O/W/O SHRI RAJESH PANDEY

NEAR MANSOON AGRO SANGAM CHOWK, AMBIKAPUR DISTT. SURGUJA (C.G.)

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.11.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./1939/2023/ADV. नामांकन दिनांक 01.11.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित हैं तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,

Bar Council of India,

21, Rouse Avenue,

Institutional Area

New Delhi+

Telephone No.011-492250000, 32402082,

Telefax : 011-41036283

Email :- Info@barcouncilofindia. Org

Website: www.barcouncilofindia.org



भवदीय

अमित कुमार वर्मा

सचिव

छ.ग.रा.वि. परिषद



# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town  
Hall, Collectorate Road,  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309  
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

Date : 10.11.2023

प्रति,

**SHRI SUMIT KUMAR GUPTA, ADV.**  
**S/O/D/O/W/O SHRI MAHESH PRASAD GUPTA**  
**WARD NO. 06, BLOCK COLONY, BALRAMPUR (C.G.)**

(वृत्तिक स्थल - बलरामपुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 10.11.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./2169/2023/ADV. नामांकन दिनांक 10.11.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित हैं तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,  
Bar Council of India,  
21, Rouse Avenue,  
Institutional Area  
New Delhi+  
Telephone No.011-492250000, 32402082,  
Telefax : 011-41036283  
Email :- Info@ barcouncilofindia. Org  
Website: www.barcouncilofindia.org



भक्तिय  
अमित कुमार वर्मा  
सचिव  
छ.ग.रा.वि. परिषद

**Annexure 1: Compensation Breakup**

Set forth below is an outline of the management compensation terms and conditions by which the undersigned parties agree to abide. The existence, nature, terms and conditions of this agreement are strictly confidential and shall not be disclosed by candidate in any manner or form, directly or indirectly, to any person or entity without the company's consent.

<b>Name</b>	<b>Tanmay Jha</b>	<b>Date: 14<sup>th</sup> May 2024</b>
<b>Company / Business Unit</b>	Vedanta Limited	
<b>Position / Title</b>	Post Graduate Trainee	
<b>Training Period</b>	6 Months	
<b>Probation Period</b>	6 Months (M8)	
<b>Confirmation</b>	Post 12 months	

**Compensation Scheme**

**I. Total Target Remuneration from Date of Joining**

<b>Fixed Pay</b>			
<b>#</b>	<b>Particulars</b>	<b>Amount (INR) Per Annum</b>	<b>Notes</b>
I	Basic	1,80,000	Basic is paid on a monthly basis. Retirals are linked to this. Subject to tax.
II	House Rent Allowance ("HRA")	72,000	House Rent Allowance is paid on a monthly basis. HRA is provided to meet the cost of accommodation. HRA is calculated at 40% of the Basic pay. HRA is an allowance and is subject to income tax. The exemption on HRA is covered under Section 10 (13A) of the Income Tax Act and Rule 2A of the Income Tax Rules.
III	Personal Allowance	29748	Personal Allowance is paid on a monthly basis. This element has no linkage to any component of compensation / retirals. Subject to tax.
IV	Statutory Bonus	36000	Bonus is paid on a monthly basis and calculated at 20% of the Basic pay, subject to Income tax.
V	Uniform Allowance	12,000	Uniform Allowance is paid on a monthly basis. It is granted to meet the expenditure incurred on purchase or maintenance of uniform to wear during the performance of the duties of an office. It is non taxable.
VIII	Leave Travel Allowance ("LTA")	15,000	Leave Travel Allowance is a reimbursement for travel within India. It is governed by IT Act where one can claim tax exemptions twice in a block of four years and should be on Privilege leave for a minimum period of 5 days and this can be clubbed with weekly off or a paid holiday.
X	Provident Fund ("PF")	21,600	As per employee provident fund Act 1952, an employer is required to contribute minimum 12% of the Basic Salary to EPF. And equal amount will be deducted as employee contribution from monthly payroll.
XI	Gratuity	8,652	The employer will contribute 15 days basic for every completed year of service. This will be payable when the employee leaves / superannuates. The eligibility condition is minimum 5 years of service as per the payment of Gratuity Act 1972.
<b>Fixed Pay</b>		<b>3,75,000</b>	<b>Sum of all above</b>

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town  
Hall, Collectorate Road,  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises,  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309  
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

Date : 08.10.2023

प्रति,

**KU. VIBHA SONI, ADV.**  
S/O/D/O/W/O SHRI RAJENDRA SONI  
LOKNAYAK JAI PRAKASH WARD NO 30 SCHOOL ROAD  
THANGANPARA AMBIKAPUR DISTT. SURGUJA (C.G)

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 08.10.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./1723/2023/ADV. नामांकन दिनांक 08.10.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित हैं तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,  
Bar Council of India,  
21, Rouse Avenue,  
Institutional Area  
New Delhi+  
Telephone No.011-49225000, 32402082,  
Telefax : 011-41036283  
Email :- Info@barcouncilofindia.Org  
Website: www.barcouncilofindia.org



भवदीय  
आमित कुमार वर्मा  
सचिव  
छ.ग.रा.वि. परिषद





## लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771.2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771.2445215, ई-मेल-cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/सी.भ./व्याख्याता/भौतिक/2023/345

नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार (पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2023 के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन किया है। सत्यापन उपरांत व्याख्याता विषय-भौतिक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 09 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11073282	VIKESH KUMAR C/O BAGAR SAY	ST	GAOTIYAPARA, GAOTIYAPARA, JUDWAN, , Surajpur, Chhattisgarh, 497001	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL SIRSI Bhaiyathan SURAIPUR	ST

10-08-23

संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़


उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- चयनित व्याख्याता 31 अगस्त, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

भौतिक

2. चयनित व्याख्याता संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा—  
 प्रथम वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत  
 द्वितीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत  
 तृतीय वर्ष — उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत  
 परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। व्याख्याता के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
4. नवनियुक्त व्याख्याता की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
7. चयनित व्याख्याता की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
9. प्रमाणित किया जाता है कि व्याख्याता भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
10. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।


11. संबंधित व्याख्याता को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
12. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यक्षीन होगी।

  
10.08.23  
संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ.क्र./स्था.2/सी.भ./व्याख्याता/भौतिक/2023/346 नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023  
प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 3/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
- 4/ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 5/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को सूचनार्थ।
- 6/ समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 7/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करे ताकि चयनित व्याख्याता को विलम्ब न हो।
- 8/ सर्व संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 9/ संबंधित श्री/सुश्री ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 10/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

  
10.08.23  
संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

All iCloud



Ph.&amp;Fax No. 07864-284401, Toll...

**लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़**

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771.2331385 फैक्स क्रमांक 0771.2445215, ई-मेल—cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.2/सी.भ./व्याख्याता/भौतिक/2023/659

नवा रायपुर दिनांक 29/02/2024

// आदेश //

ति  
र  
क  
म  
ह  
ह

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की शरीयता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र क्र./सी.भ.-2023/व्याख्याता/2024/55, नवा रायपुर, दिनांक 22.02.2024 के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन किया है। सत्यापन उपरांत व्याख्याता विषय-भौतिक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिचीक्षा अवधि पर, व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 09 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आयुटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल.न.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11015113	VIKRAM BECK C/O AMIR SAI	ST	UPARPARA, UPARPARA, SILSILA, Sarguja, Chhattisgarh, 497101	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL PUSPAL Chhindgarh SUKMA 22213503806	ST

  
लोक शिक्षण संचालनालय  
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

1. चयनित व्याख्याता 11 मार्च, 2024 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

7 जी  
7 डि  
। 697

भौतिक

1







कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा  
सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़

(दूरभाष क्रमांक 0774.230230 ई-मेल—ed.jd.surguja@gmail.com)

आदेश

अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023

क्र./स्था.2/सी.भ.2023/शिक्षक/2023 13609/19900 छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04-05-2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04-05-2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02-07-2023 की वरीयता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/शि/सी.भ./2023/313 नवा रायपुर दिनांक 21.08.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 24.08.2023 से 29.08.2023 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (35400 - 112400) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. (5) में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11023019	AMRITA EKKA C/O KALYAN RAM	ST	House No : 12, BAGICHA ROAD, BATAULI, , 497101, District: Sarguja Chhattisgarh, Sarguja, , , Sarguja, Chhattisgarh,	M.S. DUPPI Rajpur BALRAMPUR	ST OPEN.

(संजय कुमार गुप्ता)

संयुक्त संचालक

शिक्षा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला -सूरजपुर (छ0ग0)


क्र./स्था.3/सी.भ./सहायक शिक्षक/2023/8306

नवा रायपुर दिनांक 29.09.2023

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन दिनांक 08.09.2023 से दिनांक 12.09.2023 किया है। सत्यापन उपरांत सहायक शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर, सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 06 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम
1	2	3	4	5
11013188	ANJU XAXA C/O KAMLA RAM	ST	House No : 0553, GADHA PARA, DHELARA, , 497111, District: Sarguja Chhattisgarh, , , , Sarguja,	GOVT. P.S. SARAIPARA Premnagar SURAJPUR 22271904203

  
(आर.एल.पटेल)

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)



कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा  
सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़  
(दूरभाष क्रमांक 0774.230230 ई-मेल-ed.jd.surguja@gmail.com)

आदेश

अम्बिकापुर दिनांक 03 अक्टूबर 2023

स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04-05-2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04-05-2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02-07-2023 की वरीयता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/शि/सी.भ./2023/313 नवा रायपुर दिनांक 21.08.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 29.09.2023 से 30.09.2023 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (35400 - 112400) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. (5) में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है : -

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पंदाकित शाला का नाम
1	2	3	4	5
12013411	BANDNA C/O SATYENDRA SINGH PAIKRA	ST	House No : I-2, WARD NO 16, BAIKUNTHPUR, , 497335, District: Koriya Chhattisgarh, , , Gaurela-Pendra-Marwahi, Chhattisgarh,	GOVT.MIDDLE SCHOOL TARRA Sonhat KORIA 22012104703

(संजय कुमार गुप्ता)

संयुक्त संचालक  
शिक्षा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़

कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सोनहत, जिला-कोरिया (छ0ग0)


ई मेल-beosonhat@gmail.com

// आदेश //

सोनहत, दिनांक 04.10.2023

क्रमांक/1377/स्थापना-02/2023-24 : कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ का आदेश क्रमांक/स्था.2/सी.भ.2023/शिक्षक/2023/15961/42886 अम्बिकापुर, दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के द्वारा बंदना कंवर पति श्री सतेन्द्र सिंह पैकरा ग्राम पुराना मोहल्ला, सोनबचरवार पो0 आमाडाड़ तह-पेन्द्रा जिला-गौरला पेन्द्रा मरवाही (छ0ग0) की नियुक्ति शिक्षक के पद पर तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर मा0शा0 तरा विकास खण्ड सोनहत, जिला-कोरिया (छ0ग0) में पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में बंदना कंवर के द्वारा आज दिनांक 04.10.2023 को कार्यभार ग्रहण करने हेतु इस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं।

अतः बंदना कंवर शिक्षक को आज दिनांक 04.10.2023 को मा0शा0 तरा में कार्यभार ग्रहण करने हेतु इस कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है। आप तत्काल मा0शा0 तरा में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।


  
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी  
सोनहत, जिला- कोरिया (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/ /स्थापना-02/2022-23

सोनहत, दिनांक 04.10.2023

1378  
प्रतिलिपि:-

1. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्रधान पाठक मा0शा0 तरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित बंदना कंवर शिक्षक को पालनार्थ।

  
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी  
सोनहत, जिला- कोरिया (छ0ग0)

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town  
Hall, Collectorate Road,  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309  
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

Date : 01.11.2023

प्रति,

**SHRI BHANESHWAR PRASAD PATEL, ADV.**  
**S/O/D/O/W/O SHRI MANI RAM PATEL**  
**VILL. JAGDALLA POST DEORI, TAH. SAKTI, DISTT, SURGUJA, (C.G.)**

(वृत्तिक स्थल - अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.11.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./1870/2023/ADV. नामांकन दिनांक 01.11.2023 हैं।


चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित हैं तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,  
Bar Council of India,  
21, Rouse Avenue,  
Institutional Area  
New Delhi+  
Telephone No.011-492250000, 32402082,  
Telefax : 011-41036283  
Email :- Info@barcouncilofindia.Org  
Website: www.barcouncilofindia.org



भवदीय  
  
अमित कुमार वर्मा  
सचिव  
छ.ग.रा.वि. परिषद

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town

Hall, Collectorate Road,

Bilaspur (C.G.) 495 001

Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises

Bilaspur (C.G.) 495 001

Phone: 07752-241309

Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

Date : 07.11.2023

प्रति,

SHRI CHANDRA KANT PATEL, ADV.

S/O/D/O/W/O SHRI PRADEEP PATEL

VILL. - SONDIHA, POST- BARTI KALAN, DISTT. SURAJPUR (C.G.)

(वृत्तिक स्थल - अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 07.11.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./2157/2023/ADV. नामांकन दिनांक 07.11.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित हैं तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,

Bar Council of India,

21, Rouse Avenue,

Institutional Area

New Delhi+

Telephone No.011-492250000, 32402082,

Telefax : 011-41036283

Email :- Info@barcouncilofindia. Org

Website: www.barcouncilofindia.org



भारतीय

अमित कुमार वर्मा

सचिव

छ.ग.रा.वि. परिषद



## लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771.2331385 फैक्स क्रमांक 0771.2445215, ई-मेल-cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/सी.भ./व्याख्याता/भौतिक/2023/349

नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार (पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2023 के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन किया है। सत्यापन उपरांत व्याख्याता विषय-भौतिक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर, व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 09 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11182080	DEEPAK SINGH C/O ATAVA RAM	ST	BAGICHAPARA, BAGICHAPARA, MANOHARPUR, , Balrampur, Chhattisgarh, 497118	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BHAWARMAL Ramanujganj BALRAMPUR	ST

10-08-23  
संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-


- चयनित व्याख्याता 31 अगस्त, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

2. चयनित व्याख्याता संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा—  
 प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत  
 द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत  
 तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत  
 परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। व्याख्याता के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
4. नवनियुक्त व्याख्याता की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
7. चयनित व्याख्याता की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
9. प्रमाणित किया जाता है कि व्याख्याता भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
10. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।






11. संबंधित व्याख्याता को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
12. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यक्षीन होगी।

  
 10.08.23  
 संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ.क./स्था.2/सी.भ./व्याख्याता/भौतिक/2023/350 नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023  
 प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 3/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
- 4/ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 5/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को सूचनार्थ।
- 6/ समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 7/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करे ताकि चयनित व्याख्याता को विलम्ब न हो।
- 8/ सर्व संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 9/ संबंधित श्री/सुश्री ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 10/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

  
 10.08.23  
 संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़



## लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)  
(दूरभाष क्रमांक 0771.2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771.2445215, ई-मेल-eg.dpi.dir@gmail.com)


क./स्था.2/सी.भ./व्याख्याता/भौतिक/2023/313

नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 की वरीयता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार (पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2023 के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन किया है। सत्यापन उपरांत व्याख्याता विषय भौतिक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिदीक्षा अवधि पर, व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 09 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11053499	DIVYA LAKRA C/O CHHOTSAI RAM	ST	INDIRANAGAR WARD NO 10, INDIRANAGAR WARD NO 10, AMBIKAPUR, , Sarguja, Chhattisgarh, 497001	GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL BOYS PRATAPPUR Pratappur SURAJPUR	ST


  
10.08-23.  
संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- चयनित व्याख्याता 31 अगस्त, 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

11. संबंधित व्याख्याता को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
12. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी।


  
10.08.23  
संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ.क./स्था.2/सी.भ./व्याख्याता/भौतिक/2023/34  
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 3/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
- 4/ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 5/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को सूचनार्थ।
- 6/ समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 7/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करे ताकि चयनित व्याख्याता को विलम्ब न हो।
- 8/ सर्व संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 9/ संबंधित श्री/सुश्री ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 10/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

  
10.08.23  
संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर

eMail – deo.jdp@gmail.com, Beside Hatha Ground Jagdalpur District Bastar (C.G.)

## - :: आदेश :: -

क्र./2228 /स्था.03/सीधी भर्ती-2023/सहा.शिक्षक/2024,

जगदलपुर, दिनांक 09/03/2024

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04/05/2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04/05/2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02/07/2023 की वरीयता के आधार पर चतुर्थ चरण अंतर्गत दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित दल द्वारा दस्तावेज सत्यापन 07.03.2024 से 09.03.2024 तक किया गया। दस्तावेज सत्यापन में पात्र सहायक शिक्षक के पद के अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, सातवे वेतनमान 25300-80500 के वेतनमैट्रिक्स लेवल (06) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम
1	2	3	4	5
11053555	KAVITA PAINKRA C/o JETHURAM	ST	House No : 89, SCHOOLPARA, KUDARIDIH, , 497111, District: Surguja Chhattisgarh, , , , , ,	GOVT. ASHRAM SHALA KARKAGUDA Lohandiguda BASTAR 22152409002


*[Signature]*

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला बस्तर (छ0ग0)

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 1) चयनित सहायक शिक्षक दिनांक 18 मार्च 2024 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- 2) चयनित सहायक शिक्षक संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला मेडिकल बोर्ड के फिटनेस प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
- 3) सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
- 4) नवनियुक्त सहायक शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 5) यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
- 6) चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- 7) चयनित सहायक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ0ग0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।

- 8) उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
- 9) प्रमाणित किया जाता है कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
- 10) पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
- 11) संबंधित सहायक शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- 12) उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 019668/2022, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 5788/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक डी.वाय. 35325/2023 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा परित आदेश के अध्यक्षीन होगी।


  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 जिला बस्तर (छ0ग0)

पृ.क्र./2229/स्था.03/सीधी भर्ती-2023/सहा.शिक्षक/2024,

जगदलपुर, दिनांक 09/03/2024

प्रतिलिपि :-

- 1) निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
- 2) प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
- 3) सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
- 4) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 5) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 6) संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन इंद्रावती भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
- 7) कमिश्नर, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ।
- 8) कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ।
- 9) संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ।
- 10) जिला कोषालय अधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ।
- 11) समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे एवं दस्तावेज में त्रुटि पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।
- 12) संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे एवं दस्तावेज में त्रुटि पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।
- 13) संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 14) कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 जिला बस्तर (छ0ग0)

Ref. No. SET-20185105746562/0052

Roll No.: 110251114



CHHATTISGARH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL, ATAL NAGAR RAIPUR  
&  
COMMISSIONER, DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION OF CHHATTISGARH



### SET EXAMINATION 2018

(Accredited by University Grants Commission, New Delhi)  
(Valid in the State of Chhattisgarh only)




Certified that ANISH KUMAR SONI Son/Daughter/Wife  
of BAJRANG LAL SONI has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET)  
Examination 2018 held on October 28, 2018 for eligibility for the post of Assistant  
Professor/Librarian/Sports Officer in colleges and Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant  
Director (Physical Education) in the Universities in the subject HINDI

The date of qualifying SET is Feb. 19, 2019 which is also the date of declaration of the result.


This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the  
Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal by the employer through [cgvyapam.choice.gov.in](http://cgvyapam.choice.gov.in). This  
electronic certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue: 08/03/2019

  
Additional Director

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh

  
Member Secretary (C.G. SET)

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Naya Raipur

#### NOTE

- CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application Form. The appointing authority should verify the original records / certificates of the candidate while considering him / her for appointment, as the CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the date of declaration of SET result.
- Whenever SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of this category.
- Whenever PH is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.

COP/2023/0400992



**BAR COUNCIL OF INDIA**  
(CONSTITUTED UNDER THE ADVOCATES ACT, 1961)

**Certificate of Practice**

This is to certify that Mr. / Ms. **ARTI PATEL**  
S/o / D/o / W/o **VINOD KUMAR** enrolled as an Advocate under  
The Advocates Act, 1961 with SBC Enrollment No. **CG/545/2022/ADV.** is entitled to practice  
the profession of law in India in accordance with The Advocates Act, 1961 and the Rules governing such practice  
framed by the Bar Council of India, as he/she has successfully qualified in the All India Bar Examination-XVII  
vide AIBE Roll No. **17887184** Dated this the **29<sup>th</sup>** day of **April** 2023.

**Manan Kumar Mishra**  
Chairman  
Bar Council of India

**Shailendra Dubey**  
Member  
Bar Council of India

**Satish Chandra Varma**  
Chairman  
Bar Council of Chhattisgarh

**Srimanto Sen**  
Secretary  
Bar Council of India

21, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi-110002

This is an ePaper which is electronically secured using QR Code, Please download AIBE App from Playstore/App Store for instant verification and additional information.

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town  
Hall, Collectorate Road,  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309  
Fax: 07752-241309

Ref. No. SBC/CG/Enroll/Committ./2023/

Date : 09.10.2023

प्रति,

KU. SAVITA, ADV.  
S/O/D/O/W/O SHRI MOTILAL  
VILLAGE BANSIPUR JUNAFARA POST JARHI  
DISTT. SURAJPUR (C.G.)

(युक्तिक स्थल - अदिकापुर)

महोदय/ महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 09.10.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है. एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ इंडिया की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./1819/2023/ADV. नामांकन दिनांक 09.10.2023 है।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अधिलेखित भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के सबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दस्तावेज क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है. इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,  
Bar Council of India,  
21, Rouse Avenue,  
Institutional Area  
New Delhi-  
Telephone No.011-492250000, 32402082,  
Telefax : 011-41036283  
Email :- Info@barcouncilofindia.org  
Website: www.barcouncilofindia.org



अमित कुमार शर्मा  
सचिव  
छ.ग.रा.वि. परिषद





कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा  
सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़  
(दूरभाष क्रमांक 0774.230230 ई-मेल-ed.jd.surguja@gmail.com)

आदेश

अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023

क./स्था.2/सी.भ. 2023/शिक्षक/2023 12483/12720 छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04-05-2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04-05-2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02-07-2023 की वरीयता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/शि/सी.भ./2023/313 नवा रायपुर दिनांक 21.08.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 24.08.2023 से 29.08.2023 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (35400 - 112400) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. (5) में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11173121	KULDEEP KUMAR PAINKRA C/O MAINAR SAI PAINKRA	ST	House No : 79, DAMHATOLI ROAD, BAGICHA, , 496224, District: Jashpur Chhattisgarh, Sarguja, , , Jashpur, Chhattisgarh,	M.S. KERTA Balrampur BALRAMPUR	ST OPEN

(संजय कुमार गुप्ता)

संयुक्त संचालक


शिक्षा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़

परोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

1. चयनित शिक्षक 20 सितम्बर 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
2. चयनित शिक्षक संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टापेन्ड देय होगा -  
प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत  
द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत  
तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत  
परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टापेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
4. नवनियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
6. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
7. चयनित शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
9. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
10. पदांकित शाला तथा विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
11. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।



12. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
13. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत "अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र/कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेंगे।"
14. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्यक्षीन होगी।


  
 संयुक्त संचालक  
 शिक्षा सरगुजा संभाग  
 अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

क./स्था.2/सी.भ. 2023/शिक्षक/2023/12484

अम्बिकापुर दिनांक 31 अगस्त 2023

प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3/ सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4/ संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, अटल नगर नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
- 5/ आयुक्त, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
- 6/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
- 7/ कलेक्टर, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।
- 8/ संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर, सरगुजा को सूचनार्थ।
- 09/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10/ समस्त जिला प्राचार्य, डाईट, सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11/ समस्त कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 12/ सर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो।
- 13/ सर्व संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 14/ संबंधित श्री/सुश्री **KULDEEP KUMAR PAINKRA, C/O MAINAR SAI PAINKRA, House No : 79, DAMHATOLI ROAD, BAGICHA, , 496224, District: Jashpur Chhattisgarh, Sarguja, , Jashpur, Chhattisgarh,** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 15/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

  
 संयुक्त संचालक  
 शिक्षा सरगुजा संभाग  
 अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town  
Hall, Collectorate Road,  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309  
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

Date : 01.11.2023

प्रति,

**SHRI KUSH KUMAR, ADV.**  
S/O/D/O/W/O SHRI JAGDEV RAM  
WARD NO 13, DEVIDHAM PARA WADRAFANAGAR DISTT. BALRAMPUR (C.G)

(वृत्तिक स्थल - अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.11.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक C.G./1884/2023/ADV. नामांकन दिनांक 01.11.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,  
Bar Council of India,  
21, Rouse Avenue,  
Institutional Area  
New Delhi+  
Telephone No.011-492250000, 32402082,  
Telefax : 011-41036283  
Email :- Info@ barcouncilofindia. Org  
Website: www.barcouncilofindia.org



अमितीय  
अमित कुमार वर्मा  
सचिव  
छ.ग.रा.वि. परिषद



## कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा

सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छत्तीसगढ़

(दूरभाष क्रमांक 0774.230230 ई-मेल—ed.jd.surguja@gmail.com)

### आदेश

अम्बिकापुर दिनांक 22 सितम्बर 2023

क./स्था.2/सी.भ. 2023/शिक्षक/2023 15023/1444 छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04-05-2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04-05-2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02-07-2023 की वरीयता के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/शि/सी.भ./2023/313 नवा रायपुर दिनांक 21.08.2023 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 24.08.2023 से 29.08.2023 तक दस्तावेज सत्यापन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत शिक्षक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (35400 - 112400) के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. (5) में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसिलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है : -

रोल.नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	2	3	4	5	6
11153003	MANISH KUMAR SAHU C/O VIDYANTI PRASAD SAHU	OBC	House No : 02, UTTAR PARA, NAWGAI, , 497225, District: Balrampur Chhattisgarh, Sarguja, , Balrampur, Chhattisgarh,	GOVT. N.M.S.JAGARNATHPUR Pratappur SURAJPUR	-

(संजय कुमार गुप्ता)

संयुक्त संचालक

शिक्षा सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़


**उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-**

1. चयनित शिक्षक 04 अक्टूबर 2023 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
2. चयनित शिक्षक संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3. नवनियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
5. चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
6. चयनित शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।
7. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
8. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।
9. पदांकित शाला तथा विकास खण्ड शिक्षा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
10. संबंधित शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
11. नियुक्त शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
12. पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत "अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र/कार्य मुक्त होने के पश्चात् ही नवपदस्थ संस्था में कार्य भार ग्रहण करेंगे।"
13. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगी।

संयुक्त संचालक  
शिक्षा सरगुजा संभाग  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

लिपि:-

- निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 3/ सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 4/ संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, अटल नगर नवा. रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
- 5/ आयुक्त, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
- 6/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
- 7/ कलेक्टर, सरगुजा संभाग की ओर सूचनार्थ।
- 8/ संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर, सरगुजा को सूचनार्थ।
- 09/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10/ समस्त जिला प्राचार्य, डाईट, सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11/ समस्त कोषालय अधिकारी, सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 12/ सर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित शिक्षक के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा चयनित शिक्षक के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करें ताकि चयनित शिक्षक को विलम्ब न हो।
- 13/ सर्व संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 14/ संबंधित श्री/सुश्री **MANISH KUMAR SAHU, C/O VIDYANTI PRASAD SAHU, House No : 02, UTTAR PARA, NAWGAI, , 497225, District: Balrampur Chhattisgarh, Sarguja, , Balrampur, Chhattisgarh,** को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 15/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

  
संयुक्त संचालक  
शिक्षा सरगुजा संभाग  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-सूरजपुर (छ0ग10)

क्रमांक / 1807 / स्था.01-टी/ई/2023

/ / आदेश / /

सूरजपुर, दिनांक

17/08/2023

संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर छ0ग10 के आदेश क्रमांक/स्था.02/सी.म./व्याख्याता/भौतिक/2023/303 नवा रायपुर दिनांक 10.08.2023 के द्वारा मनोज कुमार पाले को व्याख्याता भौतिक विषय के पद पर नियुक्त करते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटैया विकासखण्ड प्रतापपुर जिला-सूरजपुर में पदस्थ किया गया है। मनोज कुमार पाले नव नियुक्त व्याख्याता के द्वारा आज दिनांक 16.08.2023 को इस कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी गई है। संबंधित व्याख्याता के अभिलेखों का जांच उपरांत मनोज कुमार पाले को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटैया विकासखण्ड प्रतापपुर जिला-सूरजपुर में भौतिक विषय के पद पर कार्यभार ग्रहण करने कि अनुमति प्रदान की जाती है।


  
जिला शिक्षा अधिकारी  
सूरजपुर छ0ग10

पु.क्रमांक/6366 / स्था.01-टी/ई/2023

सूरजपुर, दिनांक 17/08/2023

प्रतिनिधि:-

1. सचिव छ0ग10 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर छ0ग10 को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर छ0ग10 को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला-सूरजपुर छ0ग10 को सादर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अभिकापुर छ0ग10 को सादर सूचनार्थ।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि0ख0-..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
6. प्राचार्य शास0उ0ग10वि0 कोटैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु।
7. श्री/श्रीमती .....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
सूरजपुर छ0ग10





## लोक शिक्षण संघालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771.2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771.2445215, ई-मेल—[ce.dpi.dir@gmail.com](mailto:ce.dpi.dir@gmail.com))  
क./स्था.2/सी.भ./व्याख्याता/भौतिक/2023/303

नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एक 1-50/2022/20-चार नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.05.2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संघालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सौधी भती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04.05.2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02.07.2023 को वरीयता के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एक 1-50/2022/20-चार (पार्टी) नवा रायपुर, दिनांक 21.07.2023 के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन हेतु गठित टीम ने दस्तावेज सत्यापन किया है। सत्यापन उपर्युक्त व्याख्याता विषय-भौतिक के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर, व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी सातवे वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 09 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाइन काउंसिलिंग में चयनित/आर्बटित शाला में पदरख किया जाता है :-

शाला नं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदाधिकार शाला का नाम	चयनित संवर्ग
1	11093184 MANOJ KUMAR PALEY C/O UGEBALU RAM	ST	TILDEGA, TILDEGA, AMAKANI,, Jashpur, Chhattisgarh, 496118	5 GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL KOTEVA Pratappur SURAMPUR	6 ST

10.08.23.  
संघालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-


- चयनित व्याख्याता 31 अगस्त, 2023 तक पदाधिकार शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि उपर्युक्त कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

भौतिक

2. चयनित व्याख्याता संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दरखाजों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाफोन्ड देय होगा-  
 प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत  
 द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत  
 तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत  
 परंतु परीक्षा अवधि में स्टाफोन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। व्याख्याता के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परीक्षा पर तथा अस्थायी होंगी। परीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
4. नवनियुक्त व्याख्याता की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5. यह नियुक्ति अर्थव्यय द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अर्थव्यय यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो, संबंधित अर्थव्यय को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
6. चयनित अर्थव्यय द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
7. चयनित व्याख्याता की परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होंगी।
8. उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवाये किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उसनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
9. प्रमाणित किया जाता है कि व्याख्याता भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पत्रादानुसार की गई है।
10. पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दरखाजों की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।

11. संबंधित व्याख्याता को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

12. उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचारधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्वधीन होगी।

  
10.08.23  
संचालक

### लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पू.क./स्था.2/सी.म./व्याख्याता/भौतिक/2023/306 नवा रायपुर दिनांक 10/08/2023  
प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 2/ प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 3/ महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
- 4/ संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, अटल नगर को सूचनार्थ।
- 5/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को सूचनार्थ।
- 6/ समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- 7/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होने के दिनांक को ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान करे ताकि चयनित व्याख्याता को विलम्ब न हो।
- 8/ सर्व संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित व्याख्याता के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 9/ संबंधित श्री/सुश्री ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 10/ कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

  
10.08.23  
संचालक

### लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

# STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town  
Hall, Collectorate Road,  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309



Office: High Court Premises  
Bilaspur (C.G.) 495 001  
Phone: 07752-241309  
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023

Date : 09.10.2023

प्रति,

KU. MANSI SINHA, ADV.  
S/O/D/O/W/O SHRI SACHINDRA SINHA  
WARD NO 03, GANDHINAGAR AMBIKAPUR  
DISTT. SURGUJA (C.G.)

(वृत्तिक स्थल - अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 09.10.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडवोकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन क्रमांक CG/1813/2023/ADV नामांकन दिनांक 09.10.2023 हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009-2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडवोकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित हैं तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष क्रमांक से प्राप्त कर लें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेंगे।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते हैं :-

The Secretary,  
Bar Council of India,  
21, Rouse Avenue,  
Institutional Area  
New Delhi+  
Telephone No.011-492250000, 32402082,  
Telefax : 011-41036283  
Email :- Info@barcouncilofindia.Org  
Website: www.barcouncilofindia.org



भवदीय  
अमित कुमार वर्मा  
सचिव  
छ.ग.रा.वि. परिषद


कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)

// आदेश //

क्रमांक/222/स्था-02/कार्यभार ग्रहण/2023-24 प्रतापपुर,दिनांक 08/09/2023


.... कार्यालय संयुक्त संचालक (शिक्षा) सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक/स्था.2/सी.भ 2023/शिक्षक/2023 11152/1276 दिनांक 31.08.2023 के द्वारा श्री अंकुश कुमार आत्मज-श्री जगदीश, रोल नं. 11083312, पता- ग्राम चोपन पोस्ट सिरसी तहसील भैयाथान जिला-सूरजपुर छ0ग0, पिन-497231 को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चन्द्रपुर प्रतापपुर, विकासखण्ड प्रतापपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0) में शिक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है।

उक्त आदेश के परिपालन में श्री अंकुश कुमार के द्वारा दिनांक 08.09.2023 को कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर में मध्याह्न पूर्व कार्यभार ग्रहण करने पश्चात दिनांक 08.09.2023 को ही मध्याह्न पूर्व शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चन्द्रपुर, विकासखण्ड प्रतापपुर हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

  
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी  
प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)  
प्रतापपुर,दिनांक 08/09/2023

क्रमांक 222/स्था-02/कार्यभार ग्रहण/2023-24  
प्रतिलिपि:-

1. संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), सरगुजा संभाग को सादर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-सूरजपुर (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ।
3. संकुल प्राचार्य/जन शिक्षक ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रधान पाठक पूर्व मा0श.0 चन्द्रपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित श्री अंकुश कुमार, पूर्व मा.शाला चन्द्रपुर, विकास खण्ड प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी  
प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)



छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

-- 0 --

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/6/24

क्रमांक एफ 1-42/2021/38-1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर संशोधित चयन सूची दिनांक 20.11.2023 को सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारंभिक वेतन रूपये 57,700/- तथा समय-समय पर देय महगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
01	16	सुश्री अनीता यादव गांव सुरजनवास पो-देवास, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) पिन 123034	UR	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
02	20	श्री तारकेश्वर कुमार ग्राम बचेडीह पो-थाना नवालसाही, वार्ड 07, ब्लॉक-डोंचांच जिला कोडेरमा (झारखण्ड) 825418	UR	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया
03	24	श्री राहुल साव 12, बी सी रोड, कुमार बाजार, पो-पुलिस स्टेशन रानीगंज जिला पश्चिम बर्धमान (पश्चिम बंगाल) पिन 713347	UR	शासकीय महाविद्यालय, ओडगी जिला सूरजपुर
04	26	श्री अनुराग मिश्रा जी-8, पुराना पेंशन बाड़ा, कुंदन पैलेश रोड, पुलिस लाईन के पास, रायपुर (छ.ग.) 492001	UR	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर कला विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग
05	43	श्री सुदेश कुमार मकान नं. 155 वार्ड नं. 10 ग्राम-पोस्ट कोकपुर तह-डोगरगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.) 491558	OBC	शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर कला विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग
06	45	श्री मिथलेश कुमार चन्द्रा केरा रोड जांजगीर लालू स्वीट्स के पास जांजगीर (छ.ग.) 495668	OBC	शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर जिला जांजगीर चांपा

स.क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
07	48	श्री एस कुमार साहू ग्राम कोकड़ी पोस्ट भैसमुण्डी तह-कुरुद जिला धमतरी (छ.ग.) 493663	OBC	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नरहरपुर जिला कांकेर
08	50	श्री ज्ञानचंद्र साहू मकान नं. 69/1222, शांति विहार कालोनी, डीडी नगर थाना, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492013	OBC	नवीन शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल जिला बस्तर
09	52	श्री नोहर राम ग्राम कटोरी नगोई पोस्ट रावा तहसील कटघोरा जिला कोरबा	OBC	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, नारायणपुर
10	57	श्री हेमेश्वर चन्द्रा मकान नं. 129, बरेठ पारा बरदुला पो-उच्चभिठी, थाना कोसीर तहसील सारंगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ.ग.) 496450	OBC	शासकीय आर.एन.एम. महाविद्यालय, भटगांव जिला सारंगढ बिलाईगढ
11	64	श्री दुष्यंत कुमार 53, इंदिरा नगर, वार्ड क्र.1 उत्तई जिला दुर्ग (छ.ग.) 491107	OBC	शासकीय महाविद्यालय, कोटा जिला सुकमा
12	65	श्री आनंद कुमार ग्राम भाटापारा रतनपुर वार्ड न. 11 पोस्ट सरवन देवरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)	OBC	शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर जिला बिलासपुर
13	69	श्री भीखमलाल मकान नं. 396 वार्ड क्रमांक 20, जय स्तम्भ चौक, ग्राम व पोस्ट अंवरी, थाना कुरुद जिला धमतरी (छ.ग.) 493770	SC	बाबू छोटलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धनतरे
14	74	श्री मनोज कुमार हंसराज ग्राम व पोस्ट धुरकोट थाना जांजगीर जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495668	SC	शासकीय मधुरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा जिला जांजगीर चांपा
15	110	श्री आदित्य लौरेंस टोप्यो सदर पुलिस लाइन मकान नं. एच / 107 रायपुर (छ.ग.) 492001	ST	शासकीय इंद्रवती महाविद्यालय, भोपालपट्टन्नम जिला बीजापुर

स.क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
16	111	श्री शिव कुमार राज मकान नं. 115, ग्राम गिधौरी पो- झरना (बाराद्वार) जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) 495687	ST	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तपकरा जिला जशपुर
17	112	श्रीमती वर्षा ठाकुर मकान नं. 0158, वार्ड नं. 07 ग्राम पिपरछेडी पोस्ट रसमड़ा जिला दुर्ग (छ.ग.) 491001	ST	शासकीय नवीन महाविद्यालय, नगपुरा जिला दुर्ग
18	113	श्री देवेन्द्र सिंह राय ग्राम संतपाली पोस्ट भंवरपुर थाना सरायपाली जिला महासमुंद (छ.ग.) 493558	ST	शासकीय वीर गेंद सिंह महाविद्यालय पखांजूर जिला कांकेर
19	114	सुश्री नीलिमा पैकरा विनोबा नगर, गायत्री मंदिर के पास, तालापारा रोड पाठक किराना के सामने वाली गली, थाना तारबाहर जिला बिलासपुर (छ.ग.) 495001	ST	शासकीय ई. राघवेन्द्र स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर
20	115	सुश्री रश्मि निबरगिया वार्ड क्रमांक 13, अवन्ति ट्रेक्टर्स के सामने पोस्ट ऑफिस रोड, बस्ती सरायपाली तह-सरायपाली जिला महासमुंद (छ.ग.) 493558	ST	डॉ भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय बलौदा जिला महासमुंद
21	116	सुश्री प्रियंका सिन्धामे मकान नं. 16/6429 सेक्टर 1, शिवानन्द नगर, खमतराई डब्ल्यू आर एस कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) 492008	ST	शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर जिला सरगुजा
22	117	सुश्री सत्यवती मकान नं. 155 वार्ड नं.12, गांव कर्रा नवापारा, पोस्ट बतरा तह-पाली जिला कोरबा (छ.ग.) 495449	ST	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर जिला सरगुजा
23	118	श्री नरहरि सिंह मकान नं. डी.एन.के. जी-10, नगर पालिका परिषद के पास डीएनके कालोनी कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छ.ग.) 494226	ST	शासकीय नवीन महाविद्यालय, जेवरतला जिला बालोद



- 2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-
1. अभ्यर्थी को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जायेगा।
  2. अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्ति किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  3. अभ्यर्थियों को पुलिस सत्यापन कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  4. पदभार ग्रहण करते समय सुसंगत शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा कराना होगा।
  5. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
  6. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
  7. अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं विभागीय सेवा भरती नियम के अंतर्गत शासित होगी।
  8. अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर लागू पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
  9. परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
  10. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
  11. आदेश में कोई टंकण त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी ही मान्य की जावेगी।
  12. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये, तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- 3/ उपर्युक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्राणी शास्त्र विषय के संबंध में यदि कोई याचिका होगी, तो उक्त नियुक्ति उक्त याचिका में होने वाले निर्णय के अधीन होगी।
- 4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(कीर्तिवर्धन उपाध्याय)

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग


पृ. क्रमांक एफ 1-42/2021/38-1,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 352/01/चयन/2020/12 नवा रायपुर, दिनांक 20.11.2023 के संदर्भ में
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, विभागीय वेबसाइट में आदेश को अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करावें।
05. संबंधित आयुक्त, .....
06. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
07. संबंधित कलेक्टर, .....
08. संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा .....,
09. विशेष सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
11. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला .....,
12. संबंधित प्राचार्य, .....,  
आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुसंगत शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु रखे,
13. संबंधित अभ्यर्थी .....
14. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर

अवर सचिव



छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

**Rajib Ghosh**  
**Chief People Officer**

**08-Apr-2024**

**Mr Mohammad Wasim**  
**Surajpur, Chhattisgarh**

**Dear Mohammad,**

Welcome to Azim Premji Foundation !

We thank you for your interest to join Azim Premji Foundation (hereinafter referred to as the "Foundation").

Your terms of appointment is as below :

## **1. APPOINTMENT**

- a)** We are pleased to make you an offer of appointment as "**Associate Resource Person**" based in **Surguja (Ambikapur block), Chhattisgarh** as a part of Azim Premji Foundation for Development. Your expected date of joining will be 01-Aug-2024.
- b)** You will be on probation for a period of one year from the date of appointment and will be confirmed upon satisfactory performance during the period of probation.

## **2. SALARY**

**Your Annual Cost to Company (CTC) is Rs. 4,32,000**

Details of your salary structure are given in *Annexure 1*. Your compensation will be subject to tax deduction as per applicable rules.

Changes in your salary & benefits are discretionary and will be on the basis of relevant criteria that include the performance and results you demonstrate.

## **3. OTHER TERMS**


- a.** You will be eligible for the following benefits:
  - i.** Leave and holidays
  - ii.** Participation in Provident Fund Scheme
  - iii.** Participation in the Foundation Medical Assistance Program
  - iv.** Gratuity
  - v.** Insurance – Medical, Term Life & Personal Accident
- b.** You will be re-assigned in such capacity as the Foundation may from time to time determine. If such re-assignment results in transfer to another function, program or location, you will be governed by the terms and conditions of service applicable to the new assignment.
- c.** In your role in the Foundation, you will be required to:
  - i.** Effectively, diligently and to the best of your ability perform all responsibilities to achieve the assigned results. This may require working extra hours from time to time.

- ii. Undertake travel on Foundation work for which you will be reimbursed travel expenses as per the Travel policy of the Foundation.
  - iii. Understand the scope and intent of all our policies and comply with them, as they form an integral part of the terms of your employment with the Foundation.
  - iv. The POSH policy is enclosed in *Annexure 2*. Its' purpose is to provide a safe, secure and enabling environment for all our members. You are expected to adhere to all aspects of this policy and ensure that you treat all members with dignity and respect.
  - v. Disclose and assign to Azim Premji Foundation as its exclusive property, all developments, developed or conceived by you solely or jointly with others during the course of your employment
  - vi. Not engage in activities that have or will have an adverse impact on the reputation, image or working of Azim Premji Foundation, whether directly or indirectly.
- d. Your retirement age is 60 years.
- e. This contract of employment is terminable, without giving reasons, by either party by giving one month notice. Azim Premji Foundation reserves the right to pay or recover salary in lieu of notice period. Further, the Foundation may at its discretion relieve you from such date as it may deem fit even prior to the expiry of the notice period. In case of breach of integrity or unacceptable performance or misconduct, the Foundation reserves the right to terminate this agreement without any notice and without notice pay in lieu.
- f. Your employment terms may be specifically enforced legally, if required. If any of the provisions of this Agreement are declared or found to be void or unenforceable due to any reason whatsoever, the remaining provisions of this Agreement shall continue to be in full force and effect.
- g. Please note that you are required to inform us if there are any other agreements, oral or written, which you have entered into and which may relate to or affect your commitments under this Agreement.
- h. Conflicts of Interest:
  - i. You are required to engage yourself exclusively in the work assigned by the Foundation and shall not take up any independent or individual assignments (whether the same is part time or full time, in an advisory capacity or otherwise) directly or indirectly without the express written consent of the Head of your Function and the Chief People Officer.
  - ii. You shall ensure that you shall not, directly or indirectly, engage in any activity or have any interest in, or perform any services for any person who is involved in activities, which are or shall be in conflict with the interests of the Foundation.
- i. We at Azim Premji Foundation are committed to 'Integrity' in all aspects of our functioning. We trust that you have not provided us with any false declaration or willfully suppressed any material information.
- j. You shall immediately bring to the notice, in writing, of your immediate supervisor or of the Chief People Officer, any matter or situation or incident that may arise that could potentially result, or has resulted, in violation of the Policies of the Foundation or of this letter.
- k. Upon separation you will immediately give up to the Foundation all correspondence, specifications, books, documents, literature, drawings, effects, records etc. belonging to the Foundation or relating to its functioning and shall not make or retain any copies of these items. Your full and final settlement will be subject to compliance with the content of this clause.

- l.** Your offer of appointment is subject to successful completion of your current Post Graduation/Masters and Self-declaration of medical fitness. Please provide your certificates within 3 months of your joining.
  
- m.** By accepting this offer letter, you agree to terms and conditions mentioned in this letter. You also authorize Azim Premji Foundation and / or its designated agency(ies) to conduct document and background verification and understand that if any information furnished by you is found to be false, you could be denied employment / be terminated.

Please log into the candidate portal to confirm your acceptance of these terms of appointment.

**Yours sincerely,**



**Rajib Ghosh**

Encl: Annexure 1: Salary Structure  
Annexure 2: POSH Policy

**Annexure 1  
Salary Structure**

**Mr Mohammad**

**Associate Resource Person – Surguja (Ambikapur block), Chhattisgarh**

<b>Salary Components</b>	<b>Amount (Rs.)</b>
Basic	10,800
House Rent Allowance	4,320
Conveyance Allowance	2,000
Leave Travel Allowance	5,000
Other Allowance	9,862
<b>Monthly Gross Salary</b>	<b>31,982</b>
Provident Fund Contributed by the Foundation	1,800
Medical Assistance (Notional Value)	800
Gratuity	518
Mediclaime Insurance	900
<b>Monthly Cost to Company (CTC)</b>	<b>36,000</b>
<b>Annual CTC</b>	<b>4,32,000</b>

**Provident Fund:** As per Act. Amount indicated above are as per current applicability.

**Gratuity:** As per Act. Amount indicated above are as per current applicability.

**Medical Assistance :**

1. Eligibility of reimbursement of actual medical (domiciliary and incidental) expenses for self, spouse and dependent children, up to one month's basic salary or **Rs. 15000/-** per annum (whichever is high).
2. Domiciliary medical expenses for employee's parents upto **Rs. 10000/-** per annum

**Mediclaime Insurance:** Hospitalization expenses of **Rs. 2 Lacs** per annum as per the rules of the insurance provider.

In addition, you are currently eligible for Coverage under Personal Accident Insurance and Group Term Life Insurance for **Rs. 15 Lacs** and **Rs. 25 Lacs** respectively, as modified from time to time. The terms of both the policies would be shared with you upon joining.

**Travel expenses :** The reimbursement of your travel expenses from your location to the place of joining will be on actuals. It would be maximum of the 3 Tier A/c fare. Please preserve your tickets and bills for making the claims.

**Relocation Expenses :** You will be eligible for one time relocation expense of Rs. **10000/-** on joining and this amount will be credited to you along with the second month's salary.

**Lodging and Boarding for first 14 days :** You Lodging will be arranged directly by the Administration team at the Foundation based on applicable limits. In this time you would have to look for a house for self and move out accordingly.

**Housing Deposit Assistance :** You will also be eligible to avail an interest free loan towards your actual housing deposit amount upto a maximum of **Rs. 30,000/-**. This amount will be recovered in 10 equal monthly installments, beginning from the subsequent month of availing the loan.

In case you resign from the Foundation before completing 1 year for any reason, you will be required to repay the Foundation the amount claimed towards 'Travel Expenses & Relocation Expenses' and 'Housing Deposit'.

## ***Annexure 2***

### **Policy on Prevention of Sexual Harassment (PoSH)**

Azim Premji Foundation is committed to provide a safe, healthy, and supportive work environment for all its members. Sexual Harassment refers to any unwelcome act, behavior, or conduct (physical, verbal, or non-verbal) of a sexual nature that creates an offensive and unsafe workplace for any member. While the law is applicable only to women, our policy is applicable to all members of the Foundation.

The Committee for the Prevention of Sexual Harassment (PoSH) has been set up to help promote gender sensitivity and to act whenever a case of sexual harassment is reported - there is a strong, sensitive, and confidential redressal process in accordance with the law.

#### **Some examples of Sexual Harassment**

- Comments about people's bodies or clothes
- Sexist cartoons, jokes, and songs
- Obscene phone calls or texts
- Inappropriate messages, emails and gifts
- Repeated sexual invitations despite earlier refusals
- Inappropriate touching or hugging

If you wish to share any concerns, ask any questions, or file a formal complaint, please feel free to get in touch with any member of the PoSH Committee or write a mail to [posh@azimpremjifoundation.org](mailto:posh@azimpremjifoundation.org). Upon joining, the complete policy on the Prevention of Sexual Harassment can be accessed on the People Policy section of the ERP.